<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>06.02.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंगटोक उप-आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **नरेंद्र कुमार छेत्री, श्रीमती जयंती थापा पत्नी नरेंद्र कुमार छेत्री** और अन्य व्यक्तियों की 32.57 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की **इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड इको टूरिज्म (आईएचसीएई), चेमचे, दक्षिण सिक्किम** से धोखाधड़ी से धन की हेराफेरी के संबंध में की गई है।

ईडी ने सिक्किम सतर्कता पुलिस द्वारा नरेंद्र कुमार छेत्री के खिलाफ 13.06.2016 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिन्होंने आईएचसीएई के सहायक निदेशक-सह-प्रधान के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए बिना अनधिकृत व्यक्तियों को 1.36 करोड़ रुपये की राशि के चेक बेईमानी से और जानबूझकर जारी किए थे। ये धनराशि निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हैं, और बाद में बिना किसी भौतिक खरीद या वैध लेनदेन के नकद में निकाल ली गई।

अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में दक्षिण सिक्किम में नरेंद्र छेत्री के स्वामित्व वाली 0.1280 हेक्टेयर भूमि के रूप में अचल संपत्ति और विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक में बैंक खाते की शेष राशि के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 7.77 लाख रुपये है।

पीएमएलए के तहत जांच जारी है, जिसमें अपराध की शेष आय का पता लगाने और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे के प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित संपत्तियों और परिसंपत्तियों की पहचान की जाए और उन्हें नष्ट होने से बचाने और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए सुरक्षित किया जाए।

आगे की जांच जारी है।